बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अत्यावश्यक सूचना

बिहार राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत सभी सेवा संवर्ग के तहत् कार्यरत नियमित चिकित्सक एवं संविदागत् चिकित्सक कृपया ध्यान दें !

आप अवगत है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक– 4942, 4944, 4945 एवं 4946, दिनांकः 22.06.2012 के द्वारा जारी किये गये निदेश के आधार पर प्रथम चरण में सभी संवर्ग के नियमित एवं संविदागत् चिकित्सकों का व्यक्तिगत, शैक्षणिक, पदस्थापन इत्यादि से संबंधित सूचनाएँ विहित प्रपत्र में प्राप्त कर मानव संसाधन सूचना तंत्र (HRIS) पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। HRIS पोर्टल पर अपलोड किये गये सभी संवर्ग के नियमित एवं संविदागत् चिकित्सकों की सूचनाएँ स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट (www.health.bih.nic.in) एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट (www.statehealthsocietybihar.org) पर देख सकते है।

सभी संबंधित को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट पर अपना नाम देख लें । अगर किसी चिकित्सा पदाधिकारी का नाम सूची में शामिल नहीं है तो राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक– 4942, 4944, 4945 एवं 4946, दिनांकः 22.06.2012 के द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी के कार्यालय से दिनांक–15.09.2012 तक सम्पर्क कर अपने व्यक्तिगत, शैक्षणिक, पदस्थापन इत्यादि से संबंधित सूचनाएँ विहित प्रपत्र में भरकर HRIS के वेबपोर्टल पर निश्चित रूप से अपलोड करा लें । इस संबंध में किसी भी तरह की सूचना के संबंध में जानकारी के लिए **श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग (Mobile No.-9470003008) एवं अरविन्द कुमार, सिस्टम– एनालिस्ट–कम–डाटा ऑफिसर (Mobile No.-9470003015)** से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त तिथि के उपरांत HRIS पोर्टल पर अपलोड की गयी सूचनाओं को ही अन्तिम सूचना माना जायेगा एवं डाटा को लॉक कर दिया जायेगा । साथ ही HRIS पोर्टल पर उपलब्ध सूची में शामिल चिकित्सकों को ही सेवा में माना जायेगा । जिन चिकित्सकों के द्वारा सूचना उपलब्ध एवं अपलोड नहीं कराया गया है, उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई कर सेवा समाप्ति/सेवामुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी । इसे अंतिम स्मार माना जाय ।

नोट– विहित प्रपत्र राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांकः 4942, 4944, 4945 एवं 4946 दिनांकः 22.06.2012 दिशा–निर्देश के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org के "Guideline and Health Employees Data Collection Form" लिंक पर भी उपलब्ध है।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव